हाई कोर्ट सख्त अवैध खनन-संरक्षण पर गंभीर रुख, अरपा समेत 19 नदियों पर दिशा-निर्देश

उद्गम स्थलों के संरक्षण को कमेटी बनाने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण और अवैध खनन से जुड़े मामलों पर गंभीर रुख अपनाते हुए प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने का आदेश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उद्गम स्थलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर चिन्हांकित किया जाए। शासन को इस संबंध में शपथपत्र दाखिल कर विस्तृत जानकारी देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में निर्धारित की गई है।

● प्रतीकात्मक

अरपा नदी के संरक्षण को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी द्वारा अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और अवैध खनन पर कठोर कदम उठाने की मांग की गई है। इसके अलावा अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने भी याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि शासन के प्रतिबंध के बावजूद अरपा नदी में कई स्थानों पर खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि बारिश के दिनों में खनन से बने गहरे गड्ढे में तीन बालिकाओं की मौत भी हो चुकी है। इस पर भी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संयुक्त रूप से सभी मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभुदत्त गुरु की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पूर्व में अरपा के संरक्षण को भागवत कमेटी गठित की गई थी।

नेशनल हाईवे पर रील : हाई कोर्ट ने पूछा- प्रभावशालियों पर धाराएं लगाने से परहेज क्यों

बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) को जाम कर महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ रील बनाकर रसूख का प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर पुलिस द्वारा महज जुर्माना कर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब अन्य मामलों में पुलिस द्वारा गाड़ियां जब्त की जाती हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं की गईं?, क्यों मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराएं नहीं लगाई गईं? घटना बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे 130 की है।

सड़कों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे पंडालों पर मांगा शासन से जवाब

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में त्योहारी सीजन के दौरान शहरों की सड़कों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे पंडालों, स्वागत द्वारों और अन्य आयोजनों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की युगल पीठ में मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा गया। शासन की ओर से बताया गया कि नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, जिसमें कई विभागों का समन्वय जरूरी है, इसलिए समय दिया जाए। कोर्ट ने इस पर निर्देशित किया कि जब तक नई गाइडलाइंस लागू नहीं होतीं, तब तक वर्तमान में जो दिशा-निर्देश प्रभावशील हैं वही माने जाएंगे।